मिसल नम्बर 95/2019
निर्णय दिनांक 27–09–2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– **95/2019**

सरकार

बनाम

श्री नरेशचन्द पुत्र स्व0 श्री ताराचन्द शास्त्री जाति ब्राहम्ण निवासी खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 27–09–2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल स्वयं हाजिर। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का **नानूवाली बावड़ी** के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **नानूवाली बावड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 553/0.31 हे0, 566/0.16 हे0, 578/0.42 हे0, 579/0.18 हे0 व 581/0.69 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.76 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के खसरा नम्बर 553 के रकबा 0.31 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर, खसरा नम्बर 566 के रकबा 0.16 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर, खसरा नम्बर 578 के रकबा 0.42 हेक्टेयर पर जोत लगाकर, खसरा नम्बर 579 के रकबा 0.18 हेक्टेयर पर जोत लगाकर व खसरा नम्बर 581 के रकबा 0.69 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर गैर सायल श्री नरेशचन्द पुत्र स्व0 ताराचन्द शास्त्री जाति ब्राहम्ण निवासी खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि ग्राम नानूवाली बावड़ी स्थित जिस भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.31 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.42 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.18 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.69 हेक्टेयर में प्रार्थी द्वारा काश्त कर जोत कर जो कब्जा बताया गया है, उक्त भूमि पर प्रार्थी का काफी पुराना यानि करीब 15–20 वर्षो से पुराना कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी एक काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसके पास और कोई आय का साधन नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि को काश्त

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी के पास और कोई कृषि भूमि नहीं है जो भूमि हीन की श्रेणी में आता है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि की बाबत नियमन की सिफारिश किये जाने की कृपा करें।

गैर सायल को सुना गया। गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का **नानूवाली बावड़ी** की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल श्री नरेशचन्द पुत्र स्व0 ताराचन्द शास्त्री जाति ब्राहम्ण निवासी खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने राजस्व ग्राम **नानूवाली बावड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 553 के रकबा 0.31 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर, खसरा नम्बर 566 के रकबा 0.16 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर, खसरा नम्बर 578 के रकबा 0.42 हेक्टेयर पर जोत लगाकर, खसरा नम्बर 579 के रकबा 0.18 हेक्टेयर पर जोत लगाकर व खसरा नम्बर 581 के रकबा 0.69 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का काकंरिया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **नानूवाली बावड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 553/0.31 हे0, 566/0.16 हे0, 578/0.42 हे0, 579/0.18 हे0 व 581/0.69 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.76 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 02 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का व **फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **नानूवाली बावड़ी** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम **नानूवाली बावड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 553/0.31 हे0, 566/0.16 हे0, 578/0.42 हे0, 579/0.18 हे0 व 581/0.69 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.76 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Scanned by CamScanner